



UPAU010008872026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी-मयंक चौहान (एच०जे०एस०)

(JO CODE UP 2011)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-337/2026

अनुज यादव पुत्र रामकिशोर यादव निवासी द्वारिका की मडैया, थाना अछल्दा, जिला औरैया। प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या-187/2025

धारा- 191(2), 191(3), 190, 109,

352, 126(2)बी०एन०एस०

थाना- अछल्दा, जनपद औरैया

दिनांक:10.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 337/2026, प्रार्थी/अभियुक्त अनुज यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 187/2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 126(2)बी०एन०एस०, थाना अछल्दा, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा विपिन कुमार ने थाना अछल्दा, जनपद औरैया में लिखित तहरीर देकर दिनांक 25.09.2025 को 16.53 बजे इस आशय की दर्ज करायी कि प्रार्थी 24.09.2025 की शाम लगभग 08.30 बजे कस्बा अछल्दा से अपने घर वापस आ रहा था। मेरे साथ में मेरा मित्र शिवा निवासी आशा का वाग हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल से थे और घाटमपुर पुलिया पर पहुंचे ही सामने से रजनेश पुत्र शिववीर सिंह निवासी गौतला व सुखानी पुत्र सुखवीर सिंह गौतला व राहुल पुत्र राकेश निवासी नं० रामलाल व रौकी पुत्र संजीवकुमार सहित लगभग आठ से दस लोग थे। बाकी लोग को मैंने पहिचान नहीं पाया। जिनके पास तीन दो पहिया वाहन थे। उक्त सभी लोगों ने मिलकर घेर लिया तब मैंने देखा रजनीश के हाथ में दुनाला बन्दूक और राहुल के हाथ में कोई छोटा असलाह था और रजनीश ने मेरा हाथ लेकर ललकारा और मेरे ऊपर बन्दूक से फायर किया और मेरे गोली लगी जिससे मैं गिर गया। मैं किसी तरह उठकर भागने की कोशिश करने लगा कि राहुल ने भी मुझे गाली देते हुए फायर किया। मैंने भागते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई, उसके बाद सभी फायर करते हुए फरार हो गये, मैंने फोन पुलिस से किया तब पुलिस ने आकर मुझे अस्पताल पहुंचाया। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 126(2) बी०एन०एस० में अभियुक्तगण रजनेश, सुखानी, राहुल, रौकी एवं 8-10 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। वर्तमान मामले में अभी विवेचना प्रचलित है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित

नहीं किया है। प्रस्तुत मामले में वह नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना नामजद सहअभियुक्तों के बयानों के आधार पर उसको फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से अंकित करायी गयी है। वह वादी मुकदमा से पूर्व परिचित है, अगर उसके द्वारा वादी मुकदमा के साथ कोई भी घटना कारित की जाती तो वादी द्वारा उसको उपरोक्त मामले में नामजद अभियुक्त बनाया जाता। वह किसी मामले में सजायाफ्ता नहीं है। वह दिनांक 20.01.2026 से जिला कारागार इटावा में निरुद्ध है। सहअभियुक्त गौतम व सुखदेव की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गाली-गलौज करते हुए वादी मुकदमा विपिन कुमार का सदोष अवरोध कर जान से मारने की नियत से उसके ऊपर आग्नेयास्त्र से फायर किया, जो गोली उसके लगी और वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। अभियुक्त आपराधिक किस्म का व्यक्ति है इसके विरुद्ध वर्तमान मामले के अतिरिक्त अन्य मुकदमें पंजीकृत है, जिसका आपराधिक इतिहास जनपद औरैया में निम्न है:-

- (1) मु०अ०सं०- 161/2021 अन्तर्गत धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना अछल्दा।
- (2) मु०अ०सं०-47/2023 अन्तर्गत धारा 406, 420 भा०दं०सं०, थाना अछल्दा।
- (3) मु०अ०सं०-12/2025 अन्तर्गत धारा 115(2), 351(2), 352 बी०एन०एस०, थाना अछल्दा।
- (4) मु०अ०सं०-191/2025 अन्तर्गत धारा 103(1), 140(1), 238, 3(5) बी०एन०एस० व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना अछल्दा।
- (5) मु०अ०सं०-737/2018 अन्तर्गत धारा 379, 411 भा०दं०सं०, थाना अजीतमल।
- (6) मु०अ०सं०-145/2019 अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, थाना अजीतमल।
- (7) मु०अ०सं०-146/2019 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम।
- (8) मु०अ०सं०-141/2015, धारा 504, 506 भा०दं०सं०, थाना अछल्दा।
- (9) मु०अ०सं०-123/2016 धारा 323, 325, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना अछल्दा।
- (10) मु०अ०सं०-5/2017 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353 व धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधि०, धारा 207 मोटरयान अधिनियम, थाना अछल्दा।
- (11) मु०अ०सं०-403/17 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना अछल्दा।
- (12) मु०अ०सं०-223/18 अन्तर्गत धारा 323, 386, 504, 506 भा०दं०सं० थाना अछल्दा।
- (13) मु०अ०सं०-397/2018 अन्तर्गत धारा 307, 323, 504, 506 भा०दं०सं० थाना अछल्दा।

अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा विपिन कुमार का सदोष अवरोध कर जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस मुकदमें के अतिरिक्त हत्या, हत्या के प्रयास एवं अन्य अपराधों से सम्बन्धित 13 अन्य आपराधिक

मुकदमें पंजीकृत होना बताया गया है। वर्तमान मामले में विवेचना प्रचलित है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **अनुज यादव** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 187/2025 अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 126(2)बी०एन०एस०, थाना अछल्दा, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-10.03.2026

(मयंक चौहान)

सत्र न्यायाधीश,

औरैया।

J.O CODE- UP 2011